भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2668

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

वाणिज्यिक कोयला खनन

2668. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधिः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वाणिज्यिक कोयला खनन योजना के अंतर्गत नीलाम किए गए कोयला ब्लॉकों की संख्या कितनी है और खनन प्रक्रिया के लिए नीलाम की गई भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वाणिज्यिक कोयला खनन योजना के कारण स्थानीय आबादी, विशेषकर जनजातीय लोगों का कोई विस्थापन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) इस योजना के लिए राजस्व-साझेदारी मॉडल के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किए गए ऐसे राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू किए जाने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : वाणिज्यिक कोयला खनन स्कीम के अंतर्गत नीलाम किए गए कोयला ब्लॉकों की संख्या और नीलाम की गई भूमि की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार –

राज्य	नीलाम की गई कुल खानें	कुल ब्लॉक क्षेत्र (वर्ग किलो मीटर)
छत्तीसगढ़	14	206.98
झारखंड	26	110.19
ओडिशा	18	156.83
मध्य प्रदेश	23	286.32
महाराष्ट्र	9	104.08
पश्चिम बंगाल	3	43.18

असम	2	2.86
अरुणाचल प्रदेश	1	0.92
कुल	**96**	**911.36**

(ख) और (ग) : जी, हां। वाणिज्यिक कोयला खनन के कारण जनजातीय सहित स्थानीय लोगों का विस्थापन हुआ है। कोयला खनन के कारण लोगों के विस्थापन का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने कई रूपरेखा तैयार की हैं। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (आरएफसीटीएलएआरएंडआर), 2013 उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करता है, सामाजिक प्रभाव आकलन को अधिदेशित करता है और आजीविका बहाली तथा बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करता है। परियोजना विस्थापित परिवारों को तदनुसार भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का मुआवजा दिया जाता है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 वन भूमि पर जनजातीय अधिकारों की रक्षा करता है।

(घ) : राज्य सरकारों को मिलने वाले राजस्व शेयरिंग मॉडल (अग्रिम राशि सहित मासिक भुगतान) के जरिए सृजित राजस्व (अग्रिम राशि सहित मासिक भुगतान) का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	**नवंबर, 2024 तक राजस्व (रुपये करोड़ में) (मासिक भुगतान और अग्रिम राशि)**
छत्तीसगढ़	1644.83
झारखंड	567.06
मध्य प्रदेश	545.73
महाराष्ट्र	143.26
ओडिशा	852.09
पश्चिम बंगाल	93.60
असम	0.18
अरुणाचल प्रदेश	6.86
कुल	**3853.61**

(ङ) और (च) : जी, हाँ। जून 2020 में वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू होने के बाद से, आज की तारीख तक कुल 96 कोयला ब्लॉकों का सफलतापूर्वक आवंटन किया जा चुका है। इन आबंटित 96 ब्लॉकों में से 12 ब्लॉकों को खान खोलने की अनुमति मिल गई है और 9 ब्लॉकों ने वास्तविक कोयला उत्पादन शुरू कर दिया है। इससे ~7400 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिले हैं। एक अनुमान के अनुसार, ये सभी 96 खानें अपनी पूरी उत्पादन क्षमता से चलने पर ~3 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखती हैं।

****